तेजाब हमले से पीड़ित
(Acid-Attack Victims)
के लिए मुआवजा

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

हिमाचल प्रदेश
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, शिमला

एसिड अथवा तेजाब क्या है?

तेजाब एक रासायनिक द्रव है जिसमें अन्य वस्तुओं या धातुओं को गलाने की शक्ति होती है ।

एसिड अथवा तेजाब हमला क्या है?

एसिड अटैक अपने आप में एक नए अलग तरह का अपराध है और कुछ सालों पहले ही बड़ी तादाद में इससे जुड़े मामले सामने आने शुरू हुए, इसके चलते सरकार ने अपराध कानून संसोधन एक्ट 2013 के जरिये भारतीय दंड संहिता में कुछ प्रावधानों को जोड़ा।
पहले एसिड अटैक के मामले में आईपीसी की धारा में कोई अलग प्रावधान नहीं था। आईपीसी की धारा 326 (गंभीर रूप से जख्मी करना) के तहत ही केस होता था। बाद में आईपीसी की धारा 326 में कुछ बदलाव हुए। बदलाव के बाद 326ए और 326बी अस्तित्व में आया।

आईपीसी की धारा 326 A क्या है?

आईपीसी की धारा 326 a में प्रावधान है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझ कर किसी अन्य व्यक्ति पर तेजाब फेंकी और उसे स्थाई या आंशिक रूप में नुकसान पहुंचाया तो इसे एक गंभीर जुर्म माना जाएगा। अपराध गैर जमानती होगा। दोषी को कम से कम 10 साल और अधिकतम उम्र कैद की सजा हो सकती है। धारा 326 A में यह भी प्रावधान है कि दोषी पर उचित जुर्माना भी होगा और जुर्माने की रकम पीड़िता को दिया जाएगा।

आईपीसी की धारा 326 B क्या है?

इस धारा का संबंध एसिड अटैक के प्रयास से है। इस कानून के मुताबिक किसी व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति पर तेजाब फेंकने का प्रयास किया है तो यह एक संगीन अपराध है। यह अपराध गैर जमानती है। इसके लिए दोषी को कम से कम पांच साल तक की सजा हो सकती है और दोषी को जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

मान्नीय सर्वोच्च नयायालय द्वारा रिट पिटीशन (क्रिमिनल) संख्या 129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित नयायदेश के अनुसार निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं:–

- पीड़ित को न्यूनतम मुआवजा 3 लाख रुपये दिया जाना चाहिए।
- माननीय सर्वोच्च नयायालय ने रिट याचिका (क्रिमिनल) 129/2006 (लक्ष्मी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में पारित आदेश में कहा है कि अगर एसिड हमले से पीड़ित के द्वारा मुआवजा का दावा किया जाता है तो इसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एक गठित बोर्ड के माध्यम से देखेगी जिसमें जिला जज तथा वैसे लोग रहेंगे जो जिला जज के नजर में मामले में मददगार हो सकते हैं विशेष रूप से जिला दंडाधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा असैनिक शल्य चिकित्सक या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी और ये "क्रिमिनल इंजूरीज कम्पेनशेसन बोर्ड" के तौर पर कार्य करेंगे।
- माननीय सर्वोच्च नयायालय ने उपरोक्त केस में यह भी आदेश दिया है कि निजी अस्पताल/क्लीनिक एसिड हमले से पीड़ित की चिकित्सा से इन्कार नहीं कर सकते एवं पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की जाएगी एवं पीड़ित की स्थिति स्थिर होने पर ही विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए उसे स्थानान्तरित किया जायेगा।
- अस्पताल/क्लिनिक जो एसिड हमले से पीड़ित की चिकित्सा से इन्कार करते हैं उनके विरुद्ध कारवाई की जा सकती है।
- मुफ्त चिकित्सा के अन्तर्गत न केवल जखमों का इलाज बलिक दवाएं, बिस्तर तथा भोजन भी अस्पताल में उपलब्ध कराना शामिल हैं।

- अस्पताल/क्लिनिक जहाँ एसिड हमले से पीड़ित की प्राथमिक चिकित्सा की गई है वह इस आशय का प्रमाण–पत्र जारी करेंगे कि वह व्यक्ति एसिड हमले से पीड़ित है जिसका इस्तेमाल पीड़ित द्वारा चिकित्सा में या किसी अन्य योजना का लाभ लेने में किया जा सकता है।

यौन हिंसा और तेजाब के हमले की पीड़ितों के लिये मुआवजे के बारे में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण योजना के अंतर्गत मुआवजे की राशी ।

क्र0 सं0	हानि या चोट का विशेष रूप से	मुआवजे की न्यूनतम सीमा	मुआवजे की ऊपरी सीमा
क	चेहरे के विघटन के मामले में।	रू 7 लाख	रू 8 लाख
ख	50 प्रतिशत से अधिक चोट लगने पर।	रू 5 लाख	रू 8 लाख
ग	50 प्रतिशत से कम चोट के मामले में।	रू 3 लाख	रू 5 लाख
घ	50 प्रतिशत से कम अंक के मामले में।	रू 3 लाख	रू 4 लाख

हिमाचल प्रदेश (अपराध से पीड़ित व्यक्ति) प्रतिकर स्कीम 2019 के अनुसार एसिड अटैक के शिकार व्यक्ति के अंतर्गत मुआवजे की राशी ।

क्षति/हानि का विवरण	प्रतिकर की न्यूनतम स्कीम
एसिड हमला	रू 3 लाख

अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें

बिलासपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001
Tel: **01978-221452** e-mail: **secy-dlsa-bil-hp@gov.in**

चंबा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176310
Tel: **01899-226309,** e-mail: **secy-dlsa-cha-hp@gov.in**

हमीरपुर

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177001
Tel- **01972-224399,** e-mail: **secy-dlsa-ham-hp@gov.in**

कांगड़ा स्तिथ धर्मशाला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कांगड़ा स्तिथ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश–176215
Tel- **01892-222370**, e-mail: **secy-dlsa-kan-hp@gov.in**

किन्नौर स्तिथ रिकांग पिओ

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
किन्नौर स्तिथ रिकांग पिओ, हिमाचल प्रदेश–172001
Tel- **01786-223605,** e-mail: **secy-dlsa-kin-hp@gov.in**

कुल्लू

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कुल्लू और लाहौल जिला, हिमाचल प्रदेश—175101
Tel- **01902-222378,** e-mail: **secy-dlsa-kul-hp@gov.in**

मंडी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मंडी, हिमाचल प्रदेश—175001
Tel- **01905-223428,** e-mail: **secy-dlsa-man-hp@gov.in**

शिमला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
शिमला, हिमाचल प्रदेश—171005
Tel- **0177-2832808,** e-mail: **secy-dlsa-shi-hp@gov.in**

सिरमौर स्तिथ नाहन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सिरमौर स्तिथ नाहन, हिमाचल प्रदेश—173001
Tel- **01702-224749,** e-mail: **secy-dlsa-sir-hp@gov.in**

सोलन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सोलन, हिमाचल प्रदेश—173212
Tel- **01792-220713,** e-mail: **secy-dlsa-sol-hp@gov.in**

ऊना

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ऊना, हिमाचल प्रदेश—174303
Tel- **01975-225071,** e-mail: **secy-dlsa-una-hp@gov.in**

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्लॉक नम्बर 22, एस.डी.ए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009

e-mail: mslegal-hp@nic.in
दूरभाष: 0177–2623862
फैक्स: 0177–2626962
टोल फ्री: 15100

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL